अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाएगी स्कॉलरशिप

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के वैसे अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं जो केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी वंचित छात्र-छात्राओं को केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के समान छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फिरोज अहमद उर्फ खुर्शीद ने कहा कि वैसे वंचित अल्पसंख्यक छात्रों को केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी जिन्हें आवेदन के बावजूद छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी थी। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए छात्रों को केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

2016-17 से वंचित हैं छात्र : विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2016-17 से अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित है। केंद्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित सीमा से अधिक आवेदक होने के कारण 30 हजार 525 छात्र-छात्राएं केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित है। इन्हें छात्रवृत्ति के लिए चयनित होने के बावजूद छात्रवृत्ति नहीं मिली।

राज्य योजना से मिलेगी छात्रवृत्ति: केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित सभी वंचित छात्र-छात्राओं को राज्य योजना से छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। यह शतप्रतिशत राज्य योजना है एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्धारित दर पर ही किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूची के आधार पर राशि का आकलन कर आवंटित राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड को दी जाएगी और वहां से सूची के आधार पर लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

- इंटर की पढ़ाई के लिए छात्रों को केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है
- वैसे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिन्हें आवेदन के बावजूद नहीं मिली थी

30 हजार 525 छात्र केंद्रीय छात्रवृत्ति से हैं वंचित

8 करोड़ खर्च होंगे

विभागीय सूत्रों ने बताया कि इसके लिए आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य योजना मद से इसके साथ ही 2017-18 के भी वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विभाग ने इसे आगे के वर्षो में भी लागू करने का निर्णय लिया है। ताकि शैक्षणिक रूप से हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो और वे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें।